



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाड़

(पीठासीन अधिकारी - त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 33 / 2020

दायरी दिनांक : 15.06.2020

उनवान

मोत्या पत्नी फैलीराम जाति मीणा निवासी ग्राम बरथल तहसील निवाड़ जिला टोंक राज.

-प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार निवाड़

-अप्रार्थी

उपस्थिति:-

1. श्री रामदयाल शर्मा (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक:- 18.8.21

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की कस्बा निवाड़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 4607 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 4608 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 4609 रकबा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 4610 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता चार कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि के आस-पास के खातेदार जबरन प्रार्थी की कृषि भूमि को दबाने पर आमादा है। प्रार्थी की कृषि भूमि की मेर व डोल को तोड़ने फोड़ने पर आमादा रहते हैं। इस कारण प्रार्थी उक्त आराजियात का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नहीं रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। नियमानुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं दिया जाकर सीधे बहस करना जाहिर किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु कथन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी के उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की गई। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2070-2073 खाता संख्या 579 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं एवं प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने हेतु निवेदन किया गया है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाड़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं ग्राम कस्बा निवाड़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 4607 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 4608 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 4609 रकबा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 4610 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा कुल किता चार कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि बशामलात पडौसीयान पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कमिश्नर फीस रु. 500/- वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार निवाड़ को लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 18/8/2021 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(त्रिलोक चन्द मीना)  
उपखण्ड अधिकारी, निवाड़